

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2021/291

दिनांक: 11/01/2021

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर) अजमेर एवं जयपुर।

विषय:- 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव, 2021 – चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव कराए जाने हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया है। आम चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	15.01.2021 (शुक्रवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	16.01.2021 (शनिवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) प्रातः 10.30 से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	17.01.2021 (रविवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	21.01.2021 (गुरुवार)
7	मतदान की तिथि एवं समय	22.01.2021 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	22.01.2021 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
9	उपसरपंच का चुनाव	23.01.2021 (शनिवार)
उपसरपंच के चुनाव के लिए समय-सारणी		
1.	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
2.	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
3.	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
4.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
5.	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
6.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
7.	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

दिना

उक्त 10 ग्राम पंचायतों के सरपंच का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कराए जाएंगे। पंच पद का चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। अतः चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचनों के सुगम संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था कर ली जावे।

यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम की इस घोषणा के साथ ही सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी। कृपया आदर्श आचरण संहिता की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता) 2021

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 11/01/2021

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 292-296

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, अजमेर एवं जयपुर।
2. जनसंपर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।
5. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता) 2021

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव